संख्या 736/30XXX(2)/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

50/2004

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 मई, 2004

विषयः राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–192/कार्मिक–2/2004 दिनांक 06 फरवरी, 2004 द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले व्यक्ति के मूल निवास के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश निर्गत करने के पश्चात् कतिपय संगठनों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के दिन से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में माने जा चुके हैं । अतः यह माना जाना उचित नहीं है कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य से 'माईग्रेट' होकर उत्तरांचल में आये हैं । जो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहते रहें हैं वे वहाँ के मूल निवासी माने जायेंगे । अतः उत्तरांचल राज्य के उदय होने पर एवं दोनों राज्यों की अनुसूचित जाति की सूची एक ही होने के कारण उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है । अतः पहले से रहने वालों को उत्तर प्रदेश एक भाग से बने उत्तरांचल राज्य का मूल निवासी माना जाय ।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 192/कार्मिक–2/2004 दिनांक 06 फरवरी, 2004 को अवक्रमित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति का जो व्यक्ति उत्तरांचल राज्य में ही स्थायी रूप से निवास कर रहा है, उसकी गणना उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग में की जायेगी । उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 एवं 25 से क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन करके उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां प्रख्यापित की गयी हैं । अतः पुनर्गठन अधिनियम 2000 की पांचवी

तथा छठवीं अनुसूची में उत्तरांचल राज्य हेतु उल्लिखित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को ही उत्तरांचल राज्य में आरक्षण व अन्य सुसंगत सुविधाओं का लाभ मिलेगा ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 2736(1)/30.XXX(2)/2004

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

GO.DOC